

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 05.02.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0- 12/2026 धारा- 376/323/34 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त राजा शंखवार पुत्र धीर सिंह शंखवार निवासी ग्राम हलधरपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. विनोद गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी 176/3 जूही लाल कालोनी थाना किदवई नगर 2. मुकेश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट तिलसडा थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर 3. अविनाश शिवहरे पुत्र जमुना प्रसाद शिवहरे निवासी आई 362 विश्व बैंक बर्ग थाना बर्ग कानपुर नगर के कब्जे से 20 पेटी देशी नाजायज शराब जिसमें से 05 पेटी ट्विन टावर ब्रान्ड व 15 पेटी मस्तीह ब्रान्ड कुल 180 लीटर बरामद होना के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 22/2026 धारा - 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त बृजेश कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 दिलासाराम निवासी ग्राम बैहरापुर थाना रसूलाबाद का0 देहात, उम्र लगभग 36 वर्ष के कब्जे से 30 अदद क्वाटर देशी शराब जानेमन ब्राण्ड (प्रत्येक 200 ml) बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 055/2026 धारा - 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।